राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"ए" ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर–302005

दिनांक 30-06-2014

क्रमांकः एफ. 3 (ख) (1) अलेसे–ाा/

आदेश संख्याः 35 /2014–15

निदेशालय के आदेश संख्या 406/2013–14 क्रमांक 20286–20416 दिनांक 04.03.2014 के द्वारा श्री निशात अहमद फारूकी, लेखाकार का स्थानान्तरण/पदस्थापन ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, धोंद (सीकर) से कृषि उपज मण्डी समिति, सीकर में श्री वर्मा के स्थान पर किया गया था। उक्त आदेश के क्रम में श्री फारूकी के पदस्थापन स्थान के संबंध में कृषि उपज मण्डी समिति, सीकर के स्थान पर कृषि उउज मण्डी समिति, 'अ' श्रेणी श्रीमाधोपुर जिला सीकर पढ़ा जावे शुद्धि पत्र क्रमांक 20492–97 दिनांक 05.03.2014 जारी किया गया।

श्री फारूकी ने इस निदेशालय के आदेश दिनांक 05.03.2014 के विरूद्ध माननीय अधिकरण में अपील 458/2014 प्रस्तुत की जिस पर अधिकरण द्वारा दिनांक 19.06.2014 को स्थगन प्रार्थना पत्र पर अन्तरिम आदेश दिया है कि "विवादग्रस्त आदेश दिनांक 05.03.2014 की पालना में अपीलार्थी ने यदि कार्यभार ग्रहण नहीं किया हो तो विवादग्रस्त आदेश का क्रियान्वयन (Operation) अपीलार्थी के संबंध में अधिकरण के अग्रिम आदेश तक स्थगित किया जाता है। अपीलार्थी को कृषि उपज मण्डी, सीकर में पदस्थापित किया जावे।" उक्त अंतरिम आदेश की फोटो प्रति श्री फारूकी ने दिनांक 23.06.2014 को इस निदेशालय में प्रस्तुत कर स्थगन आदेश की क्रियान्विति चाही है ।

चूंकि कि श्री फारूखी ने स्थानान्तरण आदेश दिनांक 05.03.2014 की पालना में कार्यग्रहण नहीं किया है। अतः माननीय अधिकरण के स्थगन आदेश की पालना में आदेश संख्या 406/2013–14 दिनांक 04.03.2014 के द्वारा किये गये स्थानान्तरण को अग्रिम आदेश तक यथावत रखा जाता है।

श्री मणि लाल माथुर, लेखाकार कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, सीकर की प्रतिनियुक्ति सेवाएं तुरंत प्रभाव से वापस ली जाती है।

(वीरबाला जोशी)
निदेशक
दिनांक 30-06-2014

क्रमांकः एफ. 3 (ख) (1) अलेसे–ाा/4947-53

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित हैः–

1. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, धोंद (सीकर) निदेशालय के द्वारा श्री फारुखी के स्थानान्तरण की पालना में कार्यमुक्ति दिनांक से अवगत करावें।
2. सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, सीकर को पत्रांक 319 दिनांक 25.06.2014 के क्रम में प्रेषित लेख है कि माननीय अधिकरण के स्थगन आदेश की पालना में श्री फारूखी को कार्यग्रहण करावें एवं श्री मणि लाल माथुर, लेखाकार को अग्रिम आदेशों तक इस निदेशालय के लिए कार्यमुक्त करें।
3. कोषाधिकारी सीकर
4. श्री निशात अहमद फारूकी, लेखाकार स्थानान्तरणाधीन
5. श्री मणि लाल माथुर, लेखाकार कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, सीकर
6. उप निदेशक (ए.सी.पी.) को वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु
7. निजी सहायक निदेशक महोदया
8. पदस्थापन कार्मिक/निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली

(के. एम.मीना)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–ाा)